भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1809

10.03.2025 को उत्तर के लिए

कावेरी नदी का पुनरुद्धार

1809. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी) के अंतर्गत नदी संरक्षण के लिए आवंटित की गई निधि का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) मैसूर में कावेरी और इसकी सहायक नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कृषि अपवाह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कोई पहल शुरु की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोडागु के जंगल और नदियों को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) भारत सरकार देश में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों के अलावा अन्य नदियों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) और शहरी स्थानीय निकाय, नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित शोधन सुनिश्चित करते हैं। प्रदूषित नदी खंडों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनआरसीपी के तहत समय-समय पर विचार हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा उनकी प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना, योजना निधि की उपलब्धता आदि के आधार पर उन्हें मंजूरी दी जाती है। यह सहायता केंद्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच लागत साझा करने के आधार पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न नदियों (गंगा और उसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के चिन्हित खंडों में अशोधित मलजल को रोकने और उसकी दिशा बदलने, मलजल प्रणालियों के निर्माण, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, कम लागत वाली स्वच्छता प्रणालियों का निर्माण, नदी तट/स्नान घाट विकास आदि से संबंधित विभिन्न प्रदूषण उपशमन कार्य करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है।

एनआरसीपी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई स्कीम का मुख्य उद्देश्य नदियों में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार, जिससे बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और नदी प्रणालियों की बेहतर पारिस्थितिकी सुनिश्चित होगी, के अलावा एनआरसीपी के तहत शुरू किए गए प्रदूषण निवारण कार्य, नगरों में सौंदर्य और स्वच्छता में सुधार करने और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद करते हैं। एनआरसीपी के तहत, कर्नाटक राज्य के 9 नगरों में (वर्ष 1975-2010 के बीच) प्रदूषण निवारण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। इसका विवरण इस प्रकार हैं:

शहर	नदी	स्वीकृत लागत (करोड़ में)	निर्मित एसटीपी क्षमता (एमएलडी में)	संस्थापित एसटीपी की संख्या
बैंगलूर	पेन्नार	46.27	0	0
भद्रावती	भद्रा	3.76	5.83	1
दावणगेरे	तुंगभद्रा	4.66	19.45	1
हरिहर	तुंगभद्रा	2.49	8.84	1
के.आर. नगर	कावेरी	0.57	1.45	1
कोल्लेगल	कावेरी	1.08	3.34	1
नंजनगुड	कावेरी	2.23	1.37	1
शिमोगा	तुंगा	3.70	0	0
श्रीरंगपट्टनम	कावेरी	1.44	1.36	1
कुल		**66.2**	**41.64**	*7*

सीपीसीबी, नदियों के जल गुणवत्ता आंकड़ों के आधार पर प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) को अभिज्ञात करता है, नदियों के उन खंडों पर विचार किया जाता है जो घर के बाहर स्नान के लिए जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) (जैविक प्रदूषण का संकेतक) के प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड को पूरा नहीं करते हैं। 3 मि.ग्रा./लि से अधिक बीओडी मान को प्रदूषित क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात जाता है। पीआरएस को प्राथमिकता वर्ग I से Vके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, प्राथमिकता सबसे अधिक प्रदूषित (बीओडी मान > 30 मि.ग्रा./लि.) और प्राथमिकता Vसबसे कम प्रदूषित (बीओडी मान 3-6 मि.ग्रा./लि के बीच) है। स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है और जल प्रदूषण के उन्मूलन के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ साझा की जाती है।

संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरुद्धार समितियों (आरआरसी/एस) द्वारा अभिज्ञात किए गए पीआरएस के पुनरुद्धार के लिए व्यापक कार्य योजनाएँ तैयार की गई हैं, जिनका पर्यवेक्षण और समन्वय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण सचिव के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय में किया गया है। प्राथमिकता I से IVके अंतर्गत पीआरएस के लिए कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई और सीपीसीबी के सदस्य सचिव की अध्यक्षता वाले कार्यदल द्वारा उन्हें मंजूरी दी गई। इस कार्ययोजना में बाढ़ के मैदान वाले क्षेत्र की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने सहित इसके प्रबंधन को शामिल किया गया है। वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में निगरानी किए गए जल गुणवत्ता आंकडों के आधार पर, कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी के रंगनाथिट्टु से सत्यमंगलम पुल तक के खंड को प्राथमिकता IVके तहत आने वाले पीआरएस के रूप में अभिज्ञात किया गया था। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में निगरानी किए गए जल गुणवत्ता आंकडों के आधार पर (वर्ष 2020 को कोविड वर्ष होने के कारण छोड़ दिया गया है) कर्नाटक राज्य में रंगपट्टन्ना से लगकर बहने वाले कावेरी नदी के खंड को प्राथमिकता Vके तहत पीआरएस के रूप में अभिज्ञात किया गया था। इसके अलावा, यह मंत्रालय विनियामक अभिकरणों और राज्य वन विभाग के साथ मिलकर कोडागु के वन और धाराओं को अतिक्रमण और प्रदूषण से बचाने के लिए सभी विनियामक और निवारक उपाय करता है।

*****